

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 777]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 27, 2014/चैत्र 6, 1936

No. 777]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 27, 2014/CHAITRA 6, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 2014

का.आ. 907(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ 906 (अ) तारीख 01 अप्रैल, 2013 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा गुजरात राज्य के वडोदरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 93.300 कि.मी. से 110.00 कि.मी. (अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन) तक के भूखंड के निर्माण (चौड़ा करने/छह लेन का बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 2 जून, 2013, "दिव्य भास्कर" और "टाइम्स ऑफ इण्डिया" दोनों में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 3ध की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 के 93.300 कि.मी. से 110.00 कि.मी. (अहमदाबाद-वडोदरा सेक्शन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।									
क्रम सं.	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम	ब्लोक/सर्वेक्षण संख्या		भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्ति के नाम
				उपविभाजन से पहले	उपविभाजन के बाद				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	वडोदरा	वडोदरा	पदमला	600		निजि	कृषि	73.00	गोयल शिवलाल परागचंद
			सांकरदा	15		निजि	गैर कृषि	658.00	प्रियेंका सी शाह सिध्दार्थ सुरेश अजमेरा मीताबेन पटेल प्लोटनं37 प्रियेंका सी शाह धनेश सुरेश अजमेरा विनोदभाई पटेल प्लोटनं38 प्रियेंका सी शाह नेहल सिध्दार्थ अजमेरा मीताबेन पटेल प्लोटनं39 राज डायस अेन्ड अेस्टेट डेवलोपर
			रणोली	91		निजि	कृषि	739.00	पटेल जगदिशभाई गोरधनभाई पटेल जीतीनभाई गोरधनभाई पटेल निमेशभाई गोरधनभाई पटेल शान्ताबेन वो गोरधनभाई की विधवा
				92		निजि	कृषि	461.00	गुजरात औधोगिक विकास कोर्पोरेशन
				95		निजि	कृषि	196.00	(As per 7/12 of 95 Paiki/1) पटेल जगदिशभाई गोरधनभाई पटेल जीतीनभाई गोरधनभाई पटेल निमेशभाई गोरधनभाई पटेल शांताबेन गोरधनभाई की विधवा (As per 7/12 of 95 Paiki/2) GIDC
				102		निजि	कृषि	341.00	भट्ट प्रतिभाबेन भानुप्रसाद भट्ट योगीनीबेन भानुप्रसाद भट्ट नीपूणाबेन भानुप्रसाद भट्ट लत्ताबेन भानुप्रसाद
				104		निजि	कृषि	281.00	भट्ट उपेन्द्रभाई अंबालाल
				168		निजि	कृषि	83.00	पटेल रमणभाई फुल्लाभाई बीनगरबड
				170		निजि	गैर कृषि	269.00	खीमजीभाई माणशीभाई
				177		निजि	कृषि	69.00	गुजरात औधोगिक विकास कोर्पोरेशन
				169		निजि	कृषि	68.00	पटेल रतीलाल फुल्लाभाई पटेल रमेशभाई फल्लाभाई

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/डीबीएफओ/रा.रा.-8/अहमदाबाद/2014]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 2014

S.O. 907(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O 906(E), dated the 1st April, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of Section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / six-laning, etc.), maintenance, management and

operation of National Highway No. 8 on the stretch of land from Km 93.300 to Km 110.000 (Ahmedabad - Vadodara Section) in District Vadodara in the State of Gujarat,

And whereas the substance of the said notification has been published in “Divya Bhaskar” and “Times of India”, both dated the 2nd June, 2013, under sub-section (3) of Section 3A of the said Act;

And whereas no objection has been received from any person by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of Section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the Land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land form km. 93/300 to km. 110/000 (Ahmedabad –Vadodara Section) on the National Highway No.8 in the State of Gujarat.									
Sl. No.	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Block / Survey number		Type of land	Nature of land	Area (in square metres)	Name of the land owner/ interested person
				Before Sub-division	After Sub-division				
1	2	3	4	5		6	7	8	9
1	Vadodara	Vadodara	Padamla	600		Private	Agriculture	73.00	Goyal Shivilal Paragchand
			Sankarda	15		Private	Non Agriculture	658.00	priyanka c. shah Siddarth Suresh Ajmera Meetaben Patel HUF- Plot No.37 Priyanka C.Shah Dhanesh Suresh Ajmera Vinodbhai Patel Plot No.38 Priyanka C.Shah Nehel Siddarth Ajmera Meetaben Patel Plot No.39 Raj Diyz & Estate Developers.Ltd.
			Ranoli	91		Private	Agriculture	739.00	Patel Jagdishbhai Goradhanbhai Patel Jitinbhai Goradhanbhai Patel Nimeshbhai Goradhanbhai Patel Shantaben Goradhanbhai's Widow
				92		Private	Agriculture	461.00	Gujarat Industrial Development Corporation
				95		Private	Agriculture	196.00	Asper 7/12 of S.N.95 Paiki/1) Patel Jagdishbhai Goradhanbhai

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.